कार्यालय आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम –2010 के नियम 4(3) ख में वर्णितानुसार गठित स्कीनिंग समिति द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 23.06.2011 द्वारा गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (केन्द्रीय कार्यालय) में नियमित रूप से नियुक्त संलग्न सूची में विवरणांकित प्रबन्ध सचिव/संगठन सचिव/बर्सर (आर.वी.आर.ई.एस. 2010) जिन्होने उक्त नियमो के अधीन उल्लेखित निबंधनो एवं शर्तो के अनुसार नियुक्त किये जाने की वांछा की है, को प्रबन्ध सचिव/संगठन सचिव/बर्सर (आर.वी.आर.ई.एस.) पद की उपयुक्तता का न्याय निर्णयन करते हुए इन्हे कार्यालय अधीक्षक (आर.वी.आर.ई.एस.) पद पर नियुक्त किये जाने संबंधी राज्य सरकार के आदेशानुसार उक्त नियमो के नियम 5(II) के अनुसार पृथक मृत संवर्ग गठित करते हुए राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम –2010 में उल्लेखित निबंधन एवं शर्तो के तहत राजकीय सेवा में कॉलम संख्या 07 में दर्शाये गये विधालयों के वरिष्ठ लिपिक के पदो को अस्थायी रूप से कमोन्नत कर कार्यालय अधीक्षक के पद किये जाकर निम्न सूची के कार्मिको के सम्मुख अंकित ग्रामीण क्षेत्र के विधालयो में कार्यालय अधीक्षक (आर.वी.आर.ई.एस.) के पद पर विधमान वेतनमान में समायोजित कर पदस्थापित किया जाता है–

1 – ये इन नियमो के अधीन अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने तक किसी पदोन्नति के हकदार नही होगे । तथापि इन्हे सुनिश्चित कैरियर वृद्वि/कैरियर समुन्नति स्कीम का लाभ अनुज्ञात किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियो को अनुज्ञात है। सुनिश्चित कैरियर वृद्वि/कैरियर समुन्नति स्कीम की मंजूरी के प्रयोजनार्थ कालावधि की गणना स्वीकृत और सहायता प्राप्त पदो पर उनकी नियुक्ति की तारीख से की जायेगी ।

2 – यह मृत संवर्ग के पद, चाहे किसी भी कारण से यथा अधिवर्षिता /स्वैच्छिक सेवानिवृति/सेवा समाप्ति/सेवा मे रहते हुए मृत्यु /कर्मचारी के त्याग पत्र इत्यादि के कारण पदो के रिक्त होते ही अस्थायी रूप से कमोन्नत पद स्वतः डी–ग्रेड होकर वरिष्ठ लिपिक का पद सम्बन्धित विधालय में पूर्वतः स्वतः ही प्रवृत होगें।

3 – इनका वेतन इन नियमो के अधीन उनकी नियुक्ति के समय यथा आहरित वेतन के आधार पर उनके द्वारा इस आदेश की अनुपालना में पदग्रहण करने की तारीख से छठे वेतन आयोग के अनुसार नियत किया जायेगा । इन कर्मचारियो को इन नियमो के अधीन उनकी नियुक्ति के पश्चात, सरकार में पद ग्रहण करने की तारीख से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम– 2008 के लाभ के लिये अनुज्ञात किये जायेगे ।

4 – उपार्जित छुट्टी के अतिशेष अग्रनीत करने को अनुज्ञात नही किया जायेगा । कर्मचारी संबंधित सहायता अनुदानित शैक्षिक संस्थाओ से उपार्जित छुट्टी के अतिशेष का नकदीकरण प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

5 – इन नियमो के अधीन नियुक्ति के पश्चात सरकार में उनके पद ग्रहण करने की तारीख से पूर्व की कालावधि के लिये राज्य सरकार द्वारा किसी भी मुददे ,कोई भी बकाया, चाहे वह कुछ भी हो (वेतन,चयन वेतनमान,सुनिश्चित कैरियर वृद्वि या कैरियर समुन्नति स्कीम के बकाया को सम्मिलित करते हुए) संदत्त नही किये जायेगे ।

6 – इन नियमो के अधीन सरकारी सेवा में नियुक्त किये गये यह व्यक्ति पेन्शन स्कीम के लिये पात्र नही होगे । अंशदायी भविष्य निधि अंशदान, यदि इन नियमो के अधीन नियुक्ति के पश्चात सरकार में उनके पद ग्रहण करने की तारीख से पूर्व की कालावधि के लिये गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओ द्वारा जमा नही कराया गया हो तो , राज्य सरकार द्वारा संदत्त नही किया जायेगा । कार्मिक अंशदायी भविष्य निधि में कर्मचारी का अंशदान सरकार द्वारा उस कालावधि के लिये संदत्त किया जायेगा जिसमे वह सरकारी सेवा में है

7 – सहायता प्राप्त संस्थाओ में सेवा की कालावधि की गणना उपादान के संदाय के लिये नही की जायेगी । कर्मचारी संबधित सहायता अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्था से उपादान का संदाय प्राप्त करने की लिये स्वतंत्र होगे

8 – इन नियमो मे यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इन नियमो के अधीन नियुक्त इन व्यक्तियो की अन्य सेवा शर्ते 01.01.2004 को या उसके पश्चात नियुक्त व्यक्तियो को लागू विभिन्न सेवा नियमो द्वारा विनियमित होगी ।

9 – इन्हे अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक ग्रामीण क्षेत्रो में स्थित सरकारी शैक्षिक संस्थाओ में ही सेवा करनी होगी।

10 – राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओ की वैधता संबंधी जॉच विभाग स्तर पर करवायी जानी शेष है । अतः जिन अभ्यर्थियो द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओ से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गयी है उन्हे यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त की गयी शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है । अतः संबंधित संस्था प्रधान ऐसे अभ्यर्थियो से 10/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी से प्रमाणित करवाकर इनके द्वारा कार्यग्रहण करने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गयी शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नही पायी गयी तो उन्हे इस आदेश के द्वारा प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

11 – संबधित संस्था प्रधान इन्हे कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इनकी सभी शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओ से संबंधित अकतालिकाओ /प्रमाण पत्रो की मूल दस्तावेज से मिलान करने के उपरान्त उसकी एक–एक प्रमाणित छाया प्रतियां प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेगे ।

12 – **यह आदेश दिनांक 16.01.2012 से प्रभावी होगे** तथा इन्हे दिनांक 23.01.2012 तक अनिवार्यतः पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा। कार्यग्रहण अवधि में वृद्वि संबंधी कोई आवेदन स्वीकार्य नही होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नही करने की स्थिति में उन्हे इन नियमो के अधीन प्रदत्त यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।

13 – यदि विधालय शहरी क्षेत्र(नगरपालिका,नगर परिषद् अथवा नगरनिगम क्षेत्र) में स्थित हो तो संस्था प्रधान इन्हे कार्यग्रहण नही करावें एवं संबधित नियुक्ति अधिकारी को अविलम्ब अवगत करावें।

कस	अनुदानित विधालय का नाम	आशार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पद	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री महिला विघापीठ के का भुसावर भरतपुर	श्री गोपाल अग्रवाल	श्री फूलचन्द अग्रवाल	कार्यालय अधीक्षक RVRES	15.08.56	राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, समराया,बैर,भरतपुर
2	विधानिकेतन के. का. बदनोर हवेली उदयपुर	सुन्दरलाल कटारिया	श्री हुक्मी चन्द कटारिया	कार्यालय अधीक्षक RVRES	15.05.58	राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, मावली.उदयपुर
3	राजस्थान विधापीठ कूल के.का. उदयपुर	भंवरलाल गुर्जर	श्री रूप लाल गुर्जर	कार्यालय अधीक्षक RVRES	01.09.52	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विधालय, खमनोर उदयपुर
4	राजस्थान महिला विधालय के.का., उदयपुर	महेश चन्द्र स्वर्णकार	श्री चैनराम स्वर्णकार	कार्यालय अधीक्षक RVRES	07.09.61	राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, खेरोदा उदयपुर
5	श्रीगांधी उ.मा.वि. गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)	दिनेश चन्द्र जाजु	श्री रामस्वरूपजाजु	कार्यालय अधीक्षक RVRES	05.03.65	राजकीय माध्यमिक विधालय, बरल–II मसूदा
6	विद्या भवन सीनियर सैकण्डरी स्कूल, उदयपुर	श्री भगवानदास वैरागी	श्री दयालदास वैरागी	कार्यालय अधीक्षक RVRES	01.08.57	राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, खमनोर राजसंमद
7	मुस्लिम के.का. जयपुर	अनवारूल हक	श्री एम. सिराजूलहक	कार्यालय अधीक्षक RVRES	02.02.54	राजकीय माध्यमिक विधालय, लबाना,आमेर जयपुर
8	एस.एस.जैन सुबोध के.का. जयपुर	अक्षय यश सिह	श्री हनुवंत सिह	कार्यालय अधीक्षक RVRES	26.10.52	राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, ढोढ़सर गोविन्दगढ़ जयपुर

आयुक्त
माध्यमिक शिक्षा,राज.
बीकानेर

कमांक : शिविरा/माध्य/संस्था–1 /साप्र /2012/45 दिनांक 13–01–2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1–प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर
2–सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर
3–शासन उप सचिव कार्मिक(क–2) विभाग राजस्थान जयपुर
4–जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक प्रथम/द्वितीय) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राज्य से बाहर की डिग्रीयो का सत्यापन एक माह मे अपने स्तर पर करवाना सुनिश्चित करेगे ।
5–संबंधित संस्था प्रधान
6–संबंधित गैर सरकारी सहायता प्राप्त संस्था
7–संबंधित कर्मचारी
8–संबंधित निजी एवं रक्षित पत्रावली

आयुक्त

कार्यालय आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम –2010 के नियम 4(3) ख में वर्णितानुसार गठित स्कीनिंग समिति द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 31.05.2011 द्वारा गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (केन्द्रीय कार्यालय) में नियमित रूप से नियुक्त संलग्न सूची में विवरणांकित लेखाकार (आर.वी.आर.ई.एस. 2010) जिन्होने उक्त नियमो के अधीन उल्लेखित निबंधनो एवं शर्तो के अनुसार नियुक्त किये जाने की वांछा की है, को लेखाकार (आर.वी.आर.ई.एस.) पद की उपयुक्तता का न्याय निर्णयन करते हुए इन्हे लेखाकार (आर.वी.आर.ई.एस.) पद पर नियुक्त किये जाने संबंधी राज्य सरकार के आदेशानुसार उक्त नियमो के नियम 5(II) के अनुसार पृथक मृत संवर्ग गठित करते हुए राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम –2010 में उल्लेखित निबंधन एवं शर्तो के तहत राजकीय सेवा में कॉलम संख्या 07 में दर्शाये गये विधालयों के वरिष्ठ लिपिक के पदो को अस्थायी रूप से क्रमोन्नत कर लेखाकार के पद किये जाकर निम्न सूची के कार्मिको के सम्मुख अंकित ग्रामीण क्षेत्र के विधालयो में लेखाकार (आर.वी.आर.ई.एस.) के पद पर विधमान वेतनमान में समायोजित कर पदस्थापित किया जाता है–

1 – ये इन नियमो के अधीन अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने तक किसी पदोन्नति के हकदार नही होगे । तथापि इन्हे सुनिश्चित कैरियर वृद्वि/कैरियर समुन्नति स्कीम का लाभ अनुज्ञात किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियो को अनुज्ञात है। सुनिश्चित कैरियर वृद्वि/कैरियर समुन्नति स्कीम की मंजूरी के प्रयोजनार्थ कालावधि की गणना स्वीकृत और सहायता प्राप्त पदो पर उनकी नियुक्ति की तारीख से की जायेगी ।

2 – यह मृत संवर्ग के पद, चाहे किसी भी कारण से यथा अधिवार्षिकी /स्वैच्छिक सेवानिवृति/सेवा समाप्ति/सेवा मे रहते हुए मृत्यु /कर्मचारी के त्याग पत्र इत्यादि के कारण पदो के रिक्त होते ही अस्थायी रूप से क्रमोन्नत पद स्वतः डी–ग्रेड होकर वरिष्ठ लिपिक का पद सम्बन्धित विधालय में पूर्वतः स्वतः ही प्रवृत होगें।

3 – इनका वेतन इन नियमो के अधीन उनकी नियुक्ति के समय यथा आहरित वेतन के आधार पर उनके द्वारा इस आदेश की अनुपालना में पदग्रहण करने की तारीख से छठे वेतन आयोग के अनुसार नियत किया जायेगा । इन कर्मचारियो को इन नियमो के अधीन उनकी नियुक्ति के पश्चात, सरकार में पद ग्रहण करने की तारीख से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम– 2008 के लाभ के लिये अनुज्ञात किये जायेगे ।

4 – उपार्जित छुट्टी के अतिशेष अग्रनीत करने को अनुज्ञात नही किया जायेगा । कर्मचारी संबंधित सहायता अनुदानित शैक्षिक संस्थाओ से उपार्जित छुट्टी के अतिशेष का नकदीकरण प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

5 – इन नियमो के अधीन नियुक्ति के पश्चात सरकार में उनके पद ग्रहण करने की तारीख से पूर्व की कालावधि के लिये राज्य सरकार द्वारा किसी भी मुददे ,कोई भी बकाया, चाहे वह कुछ भी हो (वेतन,चयन वेतनमान,सुनिश्चित कैरियर वृद्वि या कैरियर समुन्नति स्कीम के बकाया को सम्मिलित करते हुए) संदत्त नही किये जायेगे ।

6 – इन नियमो के अधीन सरकारी सेवा में नियुक्त किये गये यह व्यक्ति पेन्शन स्कीम के लिये पात्र नही होगे । अंशदायी भविष्य निधि अंशदान, यदि इन नियमो के अधीन नियुक्ति के पश्चात सरकार में उनके पद ग्रहण करने की तारीख से पूर्व की कालावधि के लिये गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओ द्वारा जमा नही कराया गया हो तो , राज्य सरकार द्वारा संदत्त नही किया जायेगा । कार्मिक अंशदायी भविष्य निधि में कर्मचारी का अंशदान सरकार द्वारा उस कालावधि के लिये संदत्त किया जायेगा जिसमे वह सरकारी सेवा में है

7 – सहायता प्राप्त संस्थाओ में सेवा की कालावधि की गणना उपादान के संदाय के लिये नही की जायेगी । कर्मचारी संबधित सहायता अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्था से उपादान का संदाय प्राप्त करने की लिये स्वतंत्र होगे

8 – इन नियमो मे यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इन नियमो के अधीन नियुक्त इन व्यक्तियो की अन्य सेवा शर्ते 01.01.2004 को या उसके पश्चात नियुक्त व्यक्तियो को लागू विभिन्न सेवा नियमो द्वारा विनियमित होगी ।

9 – इन्हे अधिवर्षिकता की आयु प्राप्त करने तक ग्रामीण क्षेत्रो में स्थित सरकारी शैक्षिक संस्थाओ में ही सेवा करनी होगी।

10 – राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओ की वैधता संबंधी जॉच विभाग स्तर पर करवायी जानी शेष है । अतः जिन अभ्यर्थियो द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओ से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गयी है उन्हे यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त की गयी शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है । अतः संबंधित संस्था प्रधान ऐसे अभ्यर्थियो से 10/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी से प्रमाणित करवाकर इनके द्वारा कार्यग्रहण करने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गयी शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नही पायी गयी तो उन्हे इस आदेश के द्वारा प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

11 – संबधित संस्था प्रधान इन्हे कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इनकी सभी शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओ से संबंधित

अंकतालिकाओ /प्रमाण पत्रो की मूल दस्तावेज से मिलान करने के उपरान्त उसकी एक–एक प्रमाणित छाया प्रति प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेगे ।

12 – **यह आदेश दिनांक 16.01.2012 से प्रभावी होगे** तथा इन्हे दिनांक 23.01.2012 तक अनिवार्यतः पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा। कार्यग्रहण अवधि में वृद्वि संबंधी कोई आवेदन स्वीकार्य नही होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नही करने की स्थिति में उन्हे इन नियमो के अधीन प्रदत्त यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।

13 – यदि विधालय शहरी क्षेत्र(नगरपालिका,नगर परिषद् अथवा नगरनिगम क्षेत्र) में स्थित हो तो संस्था प्रधान इन्हे कार्यग्रहण नही करावें एवं संबधित नियुक्ति अधिकारी को अविलम्ब अवगत करावें।

कस	अनुदानित विधालय का नाम	आशार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पद	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1	गांधी विधामंदिर सरदार शहर चुरू	श्री प्रमोद कुमार पारीक	श्री कालिका प्रसाद पारीक	लेखाकार RVRES	08.01.65	राजकीय माध्यमिक विधालय, सारसर, सरदारशहर चुरू
2	श्री जैन पाठशाला सभा,केन्द्रीय कार्यालय बीकानेर	श्री कमल चन्द कोचर	श्री उत्तम चन्द कोचर	लेखाकार RVRES	17.03.66	राजकीय माध्यमिक विधालय, दुलचासर,, डूंगरगढ बीकानेर
3	विद्या भवन केन्द्रीय कार्यालय, उदयपुर	श्री सुन्दरलाल चोर्डिया	श्री देवी लाल चोरड़िया	लेखाकार RVRES	09.06.57	राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, जसवन्तगढ
4	केन्द्रीय कार्यालय महिला मण्डल,उदयपुर	श्री लोकेश कुमार रावल	श्री मदनलाल रावल	लेखाकार RVRES	20.06.60	राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, चिकारडा चित्तौडगढ
5	राजस्थान महिला परिषद् प्रधान कार्यालय , उदयपुर	श्री प्रकाश चन्द्र सिसोदिया	श्री मोहन लाल सिसोदिया	लेखाकार RVRES	15.08.59	राजकीय बालिका माध्यमिक विधालय, देलवाडा राजसंमद
6	राजस्थान महिला विधालय के. का., उदयपुर	श्री मदन मोहन त्रिपाठी	श्री श्याम सुन्दर त्रिपाठी	लेखाकार RVRES	05.07.53	राजकीय बालिका माध्यमिक विधालय, वल्लभनगर,,उदयपुर
7	आदर्श विद्या समिति अजमेर	श्री प्रतापराय कौरानी	श्री मेघराज कौरानी	लेखाकार RVRES	02.06.53	राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, पाटन,आसीन्द,भीलवाडा
8	श्री गांधी उच्च माध्यमिक विधालय, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)	श्री राजेन्द्र कुमार चेचाणी	श्री जगदीश चन्द्र चेचाणी	लेखाकार RVRES	19.05.63	राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, संग्रामगढ,आसीन्द भीलवाडा
9	केन्द्री0 काया0 म0 आ0 भीलवाडा	श्री राजेन्द्र कुमार पारीक	श्री लोकेश चन्द पारीक	लेखाकार RVRES	13.09.57	राजकीय माध्यमिक विधालय, लेसवा माण्डल भीलवाडा
10	बालहित शिक्षा समिति के.का. अलवर	श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता	श्री किशन गुप्ता	लेखाकार RVRES	10.07.54	राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, खेरथल किशनगढ अलवर
11	चोपासनी उमावि के का जोधपुर	श्री जगदीशचन्द्र भण्डारी	श्री विशनराज भण्डारी	लेखाकार RVRES	21.06.52	राजकीय माध्यमिक विधालय, बेदू,औसियां, जोधपुर
12	मुस्लिम के.का.जयपुर	श्री एस.एम.सईद नकवी	श्री सैयद अब्दुल गनी	लेखाकार RVRES	18.11.58	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विधालय, सांभरलेक जयपुर

आयुक्त
माध्यमिक शिक्षा,राज.
बीकानेर

कमांक : शिविरा/माध्य/संस्था–1 /साप्र /2012/ 43 दिनांक 13–01–2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1–प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर
2–सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर
3–शासन उप सचिव कार्मिक(क–2) विभाग राजस्थान जयपुर
4–जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक प्रथम/द्वितीय) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राज्य से बाहर की डिग्रीयो का सत्यापन एक माह मे अपने स्तर पर करवाना सुनिश्चित करेगे ।
5–संबंधित संस्था प्रधान
6–संबंधित गैर सरकारी सहायता प्राप्त संस्था
7–संबंधित कर्मचारी
8–संबंधित निजी एवं रक्षित पत्रावली

आयुक्त